न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—173/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—88 आरटीए

1. कृष्ण कुमार } पुत्रगण भादरराम जाति जाट निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया
2. महावीर प्रसाद } जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. भादरराम पुत्र स्व. खेताराम जाति जाट निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित
1. श्री आर.एन.बेदी अधिवक्ता— वादीगण
2. श्री भीमसिह अधिवक्ता— प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय दिनांक :—19.08.2019

वादी कृष्ण कुमार व महावीर प्रसाद ने यह वादपत्र अन्तर्गत घोषणा के तहत पेश किया है कि वादीगण एवं प्रति संख्या 1 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। चक 13 पीटीपी के खाता संख्या 52/52 खाता भादरराम वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2069—72 के कुल सांझा खाता 6.706 है. मे से 1/2 हिस्सा यानि 3.353 है. नहरी कृषि भूमि वादीगण के पिता भादरराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त कृषि भूमि की प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित पैतृक कृषि भूमि को लेकर अर्सा दराज पूर्व वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब्राहमी घरा घरू बंटवारानामा हो चुका है घरा घरू बंटवारानामा अनुसार चक 13 पीटीपी के खाता संख्या 52/52 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 3.353 है. हिस्सा मे से 2/3 हिस्सा कृषि भूमि वादीगण हिस्सा में बहीब आयी हुई है। ब्राहमी घरा घंरू बंटवारानामा अनुसार वादीगण की बिना किसी बाधा के शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त चली आ रही है। आज वादभूमि ब्राहमी घरा घरू बंटवारानामा अनुसार वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण बिना वजह सिंव बट रकम राज आबयाना इत्यादि को लेकर विवाद रहता है।

वादीगण ने ब्राहमी घरा घरू बंटवारानामा में मिली वाद भूमि पर भारी रूपया खर्च कर सुधार कर काश्त योग्य बनाया है। आज मौका पर भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं है। इसलिए वादीगण ब्राहामी घरा घरू बंटवारानामा के अनुसार वादभूमि में 2/3 हिस्सा के बहिब के विरातसन जन्मजात खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। गत माह वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया कि वो हम वादीगण को ब्राहमी घरा घरू बंटवारानामा अनुसार वादभूमि का खातेदार काश्तकार मानकर वादभूमि का अंकन हम वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवा देवे तो वो पहले तो आजकल आजकल करता रहा परन्तु गत सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट् इन्कार हो गया बस यही वाद कारण है।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया,तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। मुकर्रा तारीख पेशी पर प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना इकबला दावा पेश किया जिसके साथ अपनी आईडी की स्वहस्ताक्षरित चित्र प्रति पेश की है पैरोकार राज की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। फार्म नं. 3 के साथ सरपंच ग्राम पंचायत शाहपीनी से जारी भादरराम के वारिसान तस्दीक प्रमाण–पत्र मय विमला देवी पत्नी भादरराम का सहमति का शपथ पत्र पेश किया। साथ ही पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक 13 पीटीपी खाता संख्या 2/2 खाता अरजन, भोमा, चतरू पि. लिछमण जमाबन्दी सम्वत 2034 एवं इसी चक के खाता संख्या 1/2 खाता अरजन सम्वत 2041 भादरराम के नाम की प्रमाणित जमाबन्दीया पेश की है जिसमें वादपत्र में वर्णित रकबा वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता खेताराम से विरासतन प्राप्त हुई है। वादपत्र में दर्ज आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वह इन्हे विरास्तन मिली है। जमाबन्दी मूल ही शामिल मिसल की गई।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। पैतृक सम्पति से वाद वादी साबित है। वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने इकबाल दावा व प्रस्तुत पैतृक सम्पति के दस्तावेज के आधार पर वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादीगण के पिता भादरराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमे से वादीगण 3.353 है. बहिब दर्ज करवाना चाहते है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक सहमति के इकबाल दावा व पैतृक सम्पति के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण सहमति के इकबाल दावा के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी स. 1 के नाम से चक नं. 13 पीटीपी के खाता सं. 52/52 खाता भादरराम वगैरा ज. सं. 2069–2072 मे दर्ज कुल 6.706 है. कृषि भूमि मे से वादीगण को 1/2 यानि 3.353 है. आराजी का ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित जाता है। उक्त खाता में से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 यानि 3.353 है. हिस्सा कम किया जाकर शेष हिस्सा बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार वादीगण के नाम से बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–173/2019

1 कृष्ण कुमार
2 महावीर प्रसाद } पुत्रगण भादरराम जाति जाट निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम

1 भादरराम पुत्र स्व. खेताराम जाति जाट निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री आर.एन.बेदी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री भीम सिह वकील प्रतिवादी सं. 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी स. 1 के नाम से चक नं. 13 पीटीपी के खाता सं. 52/52 खाता भादरराम वगैरा ज. सं. 2069–2072 मे दर्ज कुल 6.706 है. कृषि भूमि मे से वादीगण को 1/2 यानि 3.353 है. आराजी का ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता में से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 यानि 3.353 है. हिस्सा कम किया जाकर शेष हिस्सा बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार वादीगण के नाम से बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज........निल........मुब्लिक........निल........बाबत्............निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.......................अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.08.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया